निर्णय बईजलास श्री निकया गोहाएन आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0नं0 14/अपील/19

तारीख दायरा 01.10.2019

उनवान अपील

रोडूलाल पुत्र काना आयु 65 वर्ष जाति भील नि0 ग्राम कादलखेड़ी ग्राम पंचायत सामरिया तहसील सुनेल (अपीलान्ट)

बनाम

01. प्रताप उर्फ रामप्रताप पुत्र काना भील आयु 52 वर्ष नि0 कॉदलखेड़ी तहसील सुनेल
02. देवीलाल पुत्र मांगीलाल भील आयु 35 वर्ष नि0 कॉदलखेड़ी तहसील सुनेल
03. राजाराम पुत्र मांगीलाल भील आयु 32 वर्ष नि0 कॉदलखेड़ी तहसील सुनेल
04. द्वारकीलाल पुत्र मांगीलाल भील आयु 30 वर्ष नि0 कॉदलखेड़ी तहसील सुनेल
05. सीताबाई पुत्री मांगीलाल भील पत्नि फूलचन्द भील आयु 40 वर्ष नि0 कॉदलखेड़ी तहसील सुनेल
06. डालीबाई पुत्री मांगीलाल पत्नि बाबूलाल भील आयु 38 वर्ष भील नि0 कॉदलखेड़ी तहसील सुनेल
07. केसरबाई बैवा मांगीलाल भील आयु 70 वर्ष नि0 कॉदलखेड़ी तहसील सुनेल
08. मांगीबाई पत्नि प्रताप उर्फ रामप्रताप भील आयु 38 वर्ष नि0 कॉदलखेड़ी तहसील सुनेल
09. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सुनेल (रेस्पोडेन्ट्स)

अपील बनाराजगी आदेश नायब तहसीलदार सुनेल दिनांक 01.09.1998 जिसके द्वारा इन्तकाल न0 267 ग्राम कॉदलखेड़ी तस्दीक किया गया।

उपस्थितः– श्री विरेन्द्र सिंह सोनगरा अभिभाषक अपीलान्ट
श्री महेन्द्रसिंह झाला अभिभाषक रेस्पो0 1 व 8 की और से
श्री धर्मेन्द्रसिंह झाला अभिभाषक रेस्पो0 2 लगायत 7 की और से

–: निर्णय :– दिनांकः 25.08.2020

यह अपील अपीलान्ट द्वारा नायब तहसीलदार सुनेल के आदेश दिनांक 01.09.1998 जिसके द्वारा ग्राम कॉदलखेड़ी की आराजी के नामान्तरकरण संख्या 267 तस्दीक किया गया से असन्तुष्ट होकर पेश की है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने अपील मेंमो में निवेदन किया है कि अपीलान्ट व रेस्पो0कमाक 1 व रेस्पोडेन्ट 2,3,4,5,6 के पिता मृतक मांगीलाल सगे भाई होकर काना वल्द कालू भील के पुत्रगण है व पन्नी बाई पत्नि है जिनका शजरा निम्न है

काना पुत्र कालू (मृतक अगस्त 1980)

मांगीलाल(मृतक) | रोडूलाल | प्रताप उर्फ रामप्रताप | पन्नीबाई(मृतक)

मांगीलाल(मृतक) :
देवीलाल | राजाराम | द्वारकीलाल | सीताबाई | डालीबाई | केसरबाई

पन्नीबाई(मृतक) :
मांगीलाल(मृतक) | रोडूलाल(अपीलान्ट) | प्रताप उर्फ रामप्रताप

अपीलान्ट के पिता काना की खातेदारी की ग्राम कॉदलखेडी की आराजी खाता संख्या नया 62 पुराना 53 ख0न0 345,346,368,369 कुल किता 4 की 23 बीघा 19 बिस्वा व खत्ता संख्या पुराना 54 नया 63 ख0न0 304,305,306,329,330,619 कुल किता 6 की 03 बीघा 08 बिस्वा में काना के वारिसान पुत्र व पत्नी प्रत्येक का 1/4 हिस्सा था। अपीलान्ट की माता पन्नीबाई का स्वर्गवास करीब 20 वर्ष पूर्व हो चुका है। खाता संख्या 63 नया रकबा 03 बीघा 08 बिस्वा में अपीलान्ट का पन्नी बाई के वारिस में नाम दर्ज(इन्तकाल खुल) हो चुका है परन्तु मृतका पन्नी बाई का दूसरा खाता संख्या नया 62 रकबा 23 बीघा 19 बिस्वा के संबन्ध में हल्का पटवारी द्वारा कब्जे व वारिसान के बारे में जॉच पड़ताल किये बगेर रेस्पो0 01 लगायत 8 से साज कर अपीलान्ट का नाम वारिसान में छोड दिया व फोती इन्तकाल न0 267 दिनांक 01.09.1998 अवैधानिक तरीके से तस्दीक कर दिया गया जो विधि विरूद्ध एवं पत्रावली संग्रहसार के सर्वथा विपरीत होने व अवैध होने से निरस्तनीय है । नायब तहसीलदार सुनेल ने एक खाते में पन्नीबाई के वारिस की हेसियत से अपीलान्ट का फोती नामान्तरकरण खोला है जबकि दूसरे

जिला कलक्टर

खाते में फोती इन्तकाल नही खोला है। अपीलान्ट मृतका पन्नीबाई के हिस्से की आराजी 06 बीघा भूमि में 1/3 हिस्सा भूमि का हकदार है। अपील स्वीकार कर आदेश जैर अपील दिनांक 01.09.1998 नायब तहसीलदार सुनेल अपास्त किया जाकर अपीलान्ट के पक्ष में इन्तकाल तस्दीक करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 1 व 8 की और से अभिभाषक श्री महेन्द्रसिंह व रेस्पो0 2 लगायत 7 की और से अभिभाषक श्री धमेन्द्र सिह उपस्थित हुए। । प्रकरण में हमारे द्वारा तहसीलदार सुनेल से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक रेस्पो0 2 लगायत 7 की और से दिनांक 09.12.2019 को लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

हमने बहस उभय पक्ष सुनी। अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील मेंमों की पुष्टी करते हुए व्यक्त किया कि अपीलान्ट के पिता काना की खातेदारी की ग्राम कॉदलखेडी की आराजी खाता संख्या नया 62 पुराना 53 ख0न0 345,346,368,369 कुल किता 4 की 23 बीघा 19 बिस्वा व खता संख्या पुराना 54 नया 63 ख0न0 304,305,306,329,330,619 कुल किता 6 की 03 बीघा 08 बिस्वा में काना के वारिसान पुत्र व पत्नी प्रत्येंक का 1/4 हिस्सा था। अपीलान्ट की माता पन्नीबाई का स्वर्गवास करीब 20 वर्ष पूर्व हो चुका है। खाता संख्या 63 नया रकबा 03 बीघा 08 बिस्वा में अपीलान्ट का पन्नी बाई के वारिस मं नाम दर्ज(इन्तकाल खुल) हो चुका है परन्तु मृतका पन्नी बाई का दूसरा खाता संख्या नया 62 रकबा 23 बीघा 19 बिस्वा के संबन्ध में हल्का पटवारी द्वारा कब्जे व वारिसान के बारे में जॉच पड़ताल किये बगेर रेस्पो0 01 लगायत 8 से साज कर अपीलान्ट का नाम वारिसान में छोड दिया व फोती इन्तकाल न0 267 दिनांक 01.09.1998 अवैधानिक तरीके से तस्दीक कर दिया गया जो विधि विरूद्ध एवं पत्रावली संग्रहसार के सर्वथा विपरीत होने व अवैध होने से निरस्तनीय है । नायब तहसीलदार सुनेल ने एक खाते में पन्नीबाई के वारिस की हेसियत से अपीलान्ट का फोती नामान्तरकरण खोला है जबकि दूसरे खाते में फोती इन्तकाल नही खोला है। अपीलान्ट मृतका पन्नीबाई के हिस्से की आराजी 06 बीघा भूमि में 1/3 हिस्सा भूमि का हकदार है। अपील स्वीकार कर आदेश जैर अपील दिनांक 01.09.1998 नायब तहसीलदार सुनेल अपास्त किया जाकर अपीलान्ट के पक्ष में इन्तकाल तस्दीक करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

इस पर अभिभाषक रेस्पो01 व 8 द्वारा कोई आपत्ति व्यक्त नही की गई। अभिभाषक रेस्पो0 2 लगायत 7 की और से प्रस्तुत लिखित बहस की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि इन्तकाल सं0 267 दिनांक 01.09.1998 समस्या समाधान अभियान 1998 में उपस्थित हल्का पटवारी,आई एल आर व नायब तहसीलदार सुनेल की उपस्थिति में स्वीकार किया गया शजरा बनाते समय मांगीलाल व प्रताप का नाम दर्ज है यह इस कारण शजरा में लिखा गया कि मौके पर उपस्थित अपीलार्थी रोडूलाल ने स्वंय जाहिर किया कि व वह अपना 1/3 भाग जो उसे अपनी माता पन्नी बाई के हिस्से 1/4 में प्राप्त होना है अन्तरण बेचान कर चुका है इस कारण शजरा में स्वंय ने अपना नाम दर्ज नही करवाया। अपीलान्ट ने अपने द्वारा पेश अपील मेंमो में अन्य नामान्तरण के बाबत भी उल्लेख किया तथा वह भी 01.09.1998 का दर्ज है इससे यह साबित है कि नामान्तरण सं0 267 जिसके विरूद्ध अपील पेश है तथा नामान्तरकरण सं0 265 के पारिवारीक शजरा में पुत्र 3 दर्शाये है तथा यह नामान्तकरण भी समस्या समाधान अभियान 1998 में पारित हुआ है इस कारण दोनो नामान्करण की जानकारी वक्त नामान्तरण दर्ज होने अपीलार्थी को रही है। इस कारण यह आरोप गलत है कि अवैधानिक तरीके से हल्का पटवारी से मिलकर अपीलार्थी का नाम नही बताया और अपनेनाम बिना जॉच पडताल व वारीसान के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त किये बगेर तस्दीक करवा लिया गया। मौके पर कब्जे अनुसार अपीलार्थी का पन्नीबाई के हिस्से कि भूमि पर कब्जा नही है क्यों कि वह यह हिस्सा रेस्पो0 2 लगायत 7 के पिता के हक में बय कर चुका है। अपीलार्थी द्वारा अपील मेंमों में कब्जे सम्बन्धि विरोधाभासी कथन किये है तथा यह भी उल्लेख किया कि उसके द्वारा अपील पूर्व में भूल वश उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा के यंहा पेश कर दी थी इस कारण अपील पोषणीय नही है। अपीलार्थी यदि पन्नी बाई के 1/4 हिस्से में अपना खातेदारी अधिकार चाहता है तो उसे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 में खातेदार अधिकार प्राप्त करने के लिये सक्षम न्यायालय में वाद दायर करना अनिवार्य है। अपील सारहिन,तथ्यहिन एवं विधि के प्रावधानों के विरूद्ध प्रस्तुत होने से खारिज करने का अनुरोध किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। प्रकरण में संलग्न ग्राम कॉदलखेड़ी के इन्तकाल न0 265 व 267 जो समस्या समाधान अभियान 1998 में दिनांक 01.09.1998 को तस्दीक किये गये वे दोनो इन्तकाल एक ही ग्राम की आराजी में एक ही परिवार की सदस्या पन्नीबाई के फोत होने पर एक ही पटवारी व एक ही आई एल आर की रिपोर्ट के आधार पर एक ही दिनांक को एक ही नायब तहसीलदार द्वारा पृथक–पृथक वारिसान के नाम तस्दीक किये गये हैं, इस प्रकार ग्राम कॉदलखेड़ी की आराजी खाता संख्या

(जिला कलक्टर

नया 62 पुराना 53 ख0न0 345,346,368,369 कुल किता 4 की 23 बीघा 19 बिस्वा में से पन्नी बाई की मृत्यु उपरान्त पन्नीबाई के हिस्से की आराजी पर उसके वारिसान का नाम इन्तकाल में होना चाहिये जिसमें अपीलान्ट का नाम नही होकर मात्र मांगीलाल व प्रताप का नाम तस्दीक किया जाना साबित है, इसी कमं में तहसीलदार सुनेल से पत्रांक 468/रीडर/19 दिनांक 30.12.2019 से प्राप्त रिपोर्ट से पुष्ठी की गई है " अपीलान्ट रोडूलाल की माता पन्नीबाई(पानाबाई) की मृत्यु होने पर पानाबाई के हिस्से 1/4 पर उसके सुलभी वारिसान मांगीलाल,प्रताप व रोडूलाल का नाम हि0ब0में दर्ज होना चाहिए था जबकि नामान्तरकरण संख्या 267 से खाते में दर्ज शेष वारिसान मांगीलाल व प्रताप का नाम ही दर्ज हुआ,जो गलत है। अपीलान्ट रोडूलाल का नाम अपनी माता पानीबाई के हिस्से 1/4 के हिस्से 1/3 पर दर्ज किये जाने योग्य है।" उपरोक्त विवेचन से नायब तहसीलदार सुनेल द्वारा ग्राम कॉदलखेडी की आराजी का दिनांक 01.09.1998 को तस्दीक नामान्तरण संख्या 267 विधि सम्मत होना नही पाया जाता है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम कॉदलखेड़ी के इन्तकाल न0 267 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार सुनेल को निर्देशित किया जाता है कि नियमों के परिपेक्ष्य में विधि द्वारा सुस्थापित प्रकियानुसार पन्नीबाई पत्नी काना भील के विधिक वारिसान को रेकार्ड पर लेकर नवीन इन्तकाल तस्दीक करें। निर्णय की प्रति पालानार्थ तहसीलदार सुनेल को भिजवाई जावे। पत्रावली फेसलानुमाए होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2020 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निकया गोहाएन)
जिला कलक्टर
झालावाड